भारत निर्वाचन आयोग विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025

मतदाता सूची का हुआ प्रारंभिक प्रकाशन, 28 नवम्बर तक कर सकेंगे दावा/आपत्ति

- 6 जनवरी 2025 को किया जाएगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
- अपर कलेक्टर पाण्डेय ने ली मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक
- फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के संबंध में दी गई जानकारी

रायगढ़

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के निर्देशन में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पाण्डेय ने कलेक्ट्रेट के कक्ष क्रमांक 21 में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। मौके पर उन्होंने आयोग द्वारा जारी विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम-2025 की जारी शेड्यूल की फोटोकापी प्रतिलिपि भी सौंपी।

अपर कलेक्टर पाण्डेय ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी देते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अर्हता तिथि 1 जनवरी 2025 की स्थिति में संपन्न होना है। जिसके अंतर्गत निर्धारित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का प्रारंभिक प्रकाशन 29 अक्टूबर 2024 को जिले के विधानसभा क्षेत्र में स्थापित समस्त मतदान केन्द्रों में किया गया। इसी के साथ दावा/आपत्ति प्राप्त करने की कार्यवाही प्रारंभ हो गई। 28 नवम्बर 2024 तक दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। इस दौरान दिनांक 09 नवम्बर 2024, 10 नवम्बर 2024 एवं 16 नवम्बर 2024 एवं 17 नवम्बर 2024 को समस्त मतदान केन्द्रों में विशेष शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। 24 दिसम्बर 2024 तक दावा एवं आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। जिसके पश्चात 1 जनवरी 2025 तक सभी मापदंडों की जांच करना और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त एवं डेटाबेस को अद्यतन करना और पूरकों की छपाई करना है। इस अवधि में प्राप्त सभी दावा/आपत्तियों का निराकरण पूर्ण कर 06 जनवरी 2025 को मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन किया जाएगा।

अपर कलेक्टर पाण्डेय ने राजनीतिक दलों से कहा कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों के प्रकाशन पश्चात् इसकी प्रति बूथ लेवल अधिकारी/ अविहित/ अधिकारी/ निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय एवं जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे जहां आम जनता/मतदाता निर्वाचक नामावली का अवलोकन कर सकते हैं यदि निर्वाचक नामावली में नाम दर्ज नहीं है तो फार्म-6 के माध्यम से नाम जोडऩे की कार्यवाही कर सकते हैं एवं किसी मतदाताओं के स्थायी रूप से अन्यत्र चले जाने अथवा मृत्यु हो जाने की स्थिति में फार्म-7 भरकर निर्वाचक नामावली से नाम विलोपित करने हेतु आवेदन भरा जा सकता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रकार की संशोधन की आवश्यकता हो तो मतदातागण फार्म-8 भरकर संशोधन की कार्यवाही कर सकते हैं। 18 वर्ष पूर्ण कर चुके नये मतदाताओं के नाम जुड़वाने में बूथ लेवल एजेंट के सहयोग प्रदान करने की बात कही।

आयोग के निर्देशानुसार 01 जनवरी 2025 की स्थिति में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले और आवेदित क्षेत्र के सामान्य निवासी व्यक्ति निर्वाचक नामावली में नाम जोडऩे हेतु आवेदन कर सकेंगें। इसके अतिरिक्त 01 अप्रैल 2025 या 01 जुलाई 2025 या 01 अक्टूबर 2025 की स्थिति में भी यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले है, वह भी सूचना की तारीख से, अग्रिम में, प्रारूप 6 में निर्वाचक नामावली में अपना नाम सम्मिलित करने के लिए दावा कर सकेगा और उस पर संबंधित अर्हता तारीख के संदर्भ में संबंधित तिमाही में विचार और विनिश्चय किया जाएगा।

बैठक में पंकज कंकरवाल, आशीष शर्मा, प्रिंकल दास, पवन शर्मा, मनीष पाण्डेय सहित निर्वाचन शाखा के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदाताओं की संख्या- दिनांक 25 अक्टूबर 2024 की स्थिति में रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 8 लाख 53 हजार 498 मतदाता शामिल है। जिसमें 4 लाख 22 हजार 302 पुरूष, 4 लाख 31 हजार 173 महिला एवं 23 तृतीय लिंग मतदाता शामिल है। जिसमें विधानसभा 15-लैलूंगा में पुरूष-1,02,663, महिला-1,04,383 इस तरह कुल-2 लाख 7 हजार 46 है। इसी तरह विधानसभा 16-रायगढ़ में पुरूष-1,07,221, महिला-1,07,960, तृतीय लिंग-16 कुल-2 लाख 15 हजार 197 है। विधानसभा 18-खरसिया में पुरूष-1,07,826, महिला-1,08,596, तृतीय लिग-4 कुल- 2 लाख 16 हजार 426 एवं विधानसभा 19-धरमजयगढ़ में पुरूष-1,04,592, महिला-1,10,234 एवं तृतीय लिंग-3, कुल-2 लाख 14 हजार 829 मतदाता शामिल है। उपरोक्त में विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 16-रायगढ़ सरिया तहसील के 59 मतदान केन्द्र शामिल नहीं है।

18-19 वर्ष उम्र के नये जुड़े मतदाता- दिनांक 25 अक्टूबर 2024 की स्थिति में रायगढ़ जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत कुल 16 हजार 488 नये जुड़े मतदाता शामिल है। जिनमें पुरूष 8 हजार 449 एवं महिला 8 हजार 39 है। जिसमें विधानसभा 15-लैलूंगा में पुरूष-2073 एवं महिला-2230 कुल-4303 है। इसी तरह विधानसभा 16-रायगढ़ में पुरूष-1736 एवं महिला 1479 कुल 3215 है। विधानसभा 18-खरसिया में पुरूष-2277 एवं महिला-1948 कुल-4225 एवं विधानसभा 19-धरमजयगढ़ में पुरूष-2363 एवं महिला-2382 कुल-4745 नये जुड़े मतदाता शामिल है।

मतदान केन्द्रों का युक्तियुक्तकरण

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार युक्तियुक्तकरण हेतु आयोग को जिले से भेजे गए सभी प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया है तथा अनुमोदन अनुसार मतदान केन्द्रों की सूची में परिवर्तन पूर्ण कर लिया गया है। जिनमें नये मतदान केन्द्र के प्रस्ताव संख्या 12 है। इसी तरह भवन परिवर्तन-4, स्थल परिवर्तन-2, अनुभाग परिवर्तन-3 एवं अनुभाग के नामकरण में परिवर्तन-17 है। जिसमें विधानसभा 16-रायगढ़ में 2 भवन परिवर्तन किया गया है। इसी तरह विधानसभा 18-खरसिया में 01 भवन परिवर्तन एवं 12 अनुभाग के नामकरण में परिवर्तन किया गया है। विधानसभा 19-धरमजयगढ़ में नये मतदान केन्द्र के प्रस्ताव संख्या 12, भवन परिवर्तन-1, स्थल परिवर्र्तन-2, अनुभाग परिवर्तन की संख्या-3 एवं 5 अनुभाग के नामकरण में परिवर्तन किया गया है।

महत्वपूर्ण एवं खास

राज्य स्थापना दिवस : जिला मुख्यालयों में होंगे दीप प्रज्ज्वलन

रायगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर 01 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों में एवं प्रमुख नगरों में दीप प्रज्जवलन किया जाना है। इस अवसर पर सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, रायपुर ने परिपत्र जारी किया है। जिसमें नागरिकों से अपने घरों में राज्य स्थापना दिवस को दृष्टिगत रखते हुए दीप प्रज्जवलन करने के लिए भी अपील की गई है।

जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़ के निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया

प्रारंभिक प्रकाशन का दावा आपत्ति लिखित में 6 नवंबर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने पंचायत निर्वाचन अंतर्गत जिला पंचायत सारंगढ़ बिलाईगढ़ के 12 निर्वाचन क्षेत्रों का प्रारंभिक प्रकाशन 30 अक्टूबर 2024 को किया गया है। इस संबंध में जिले के निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क नागरिक दावा आपत्ति 06.11.2024 तक कलेक्टर को लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

मिलावटी मिठाई और खाद्य पदार्थो की शिकायत हेतु हेल्पलाइन 934059709

सारंगढ़ बिलाईगढ़। दीपावली त्यौहार के मद्देनज़र और होटल, गुपचुप ठेला सहित सभी प्रकार के खाद्य व्यवसाय से जुड़े व्यापारी वर्ग यदि नागरिकों की सेहत के विरुद्ध खराब अमानक खाद्य पदार्थ बेचते हैं तो उसकी शिकायत की जा सकती है। राज्य भर के लिए छत्तीसगढ़ के खाद्य और औषधि प्रशासन द्वारा हेल्पलाइन 9340597097 संचालित किया जा रहा है। रासायनिक या मिलावटी अन्य पदार्थ की मिलावट से दूध या मिठाई निर्माण, खाद्य पदार्थ के डिब्बे या पैकेट में लेबलिंग नहीं पाने, किसी भी प्रोडक्ट में एक्सपायरी डेट नहीं लिखने, होटल, ढाबा, ठेला द्वारा खाद्य लाइसेंस, पंजीयन नहीं और साफ सफाई की कमी होने पर, इसके साथ साथ दवाई दुकान, खराब, सड़े गले फलमूल, मांस, मछली, खाद्य एवं पेय पदार्थ से सम्बंधित कोई भी शिकायत के लिए आम नागरिक हेल्पलाइन नम्बर 9340597097 पर संपर्क कर सकते हैं।

जनपद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र के प्रारंभिक प्रकाशन पर दावा आपत्ति 4 नवंबर तक आमंत्रित

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । पंचायत निर्वाचन अंतर्गत जिले के जनपद पंचायत सारंगढ़, जनपद पंचायत बिलाईगढ़ और जनपद पंचायत बरमकेला के 25- 25 सदस्यों के क्षेत्रों के परिसीमन का प्रारंभिक प्रकाशन 28 अक्टूबर 2024 को किया जा चुका है, जिसके दावा आपत्ति की अंतिम तिथि 04.11.2024 दिन सोमवार है। इस संबंध में जिले के निर्वाचन क्षेत्र का कोई भी वयस्क नागरिक दावा आपत्ति 04.11.2024 तक कलेक्टर को (परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन योजना कार्यालय खेलभांठा के पास सारंगढ़) लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा में प्राप्त दावा आपत्तियों पर विचार करने के बाद अंतिम विनिश्चय प्रकाशित किया जाएगा।

बिहान बाजार-समूह के दिए से रोशन होंगे घर

रायगढ़

एनआरएलएम अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत 30 अक्टूबर तक जिला रायगढ़ के सभी 07 विकास खंड के अंतर्गत 28 संकुल स्तरीय संगठन में दीवाली बिहान बाजार का आयोजन किया जा रहा है। बिहान बाजार में स्व-सहायता समूह के हाथों से निर्मित झालर (लटकन), अनेकों प्रकार के दिए, मुर्रा, देशी घी से बने लड्डू, मिठाई, लाई, बताशा, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, पूजन सामाग्री, कपड़े/जूट का थैला, गृह साज-सज्जा का सामान, झाड़ू, फूल, तोरण, रंगोली के रंग इत्यादि दीवाली सामाग्री का विक्रय किया जा रहा है। छोटे-छोटे ग्राम में तैयार गुणवत्ता उक्त दीवाली सामाग्री खरीददारों का मन मोह रही है एवं उनके द्वारा समूह से सामान लेने हेतु अन्य लोगों को बता कर भेज रहे है। समूह द्वारा दीवाली सामग्री के साथ-साथ अन्य निर्मित सामान को भी दीवाली विशेष बाजार में विक्रय कर अच्छी आय प्राप्त कर रही है।

हत्या के आरोपित को पूंजीपथरा पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर, आरोपी गया जेल

रायगढ़

दिनांक 27/10/2024 की रात्रि में सरायपाली स्थित रूपनाधाम स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के प्लांट में श्रमिकों के बीच हुए एक विवाद के दौरान लोकेश धनवार (28 वर्ष), निवासी खमगड़ा, थाना बागबहार, जिला जशपुर, पर उसी प्लांट में कार्यरत जुगनू धनकी उर्फ राजेश्वर धनकी (32 वर्ष) ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया। घटना प्लांट के अंदर बनी लेबर कॉलोनी में हुई। इस हमले में गंभीर रूप से घायल लोकेश धनवार को उपचार हेतु जिला अस्पताल रायगढ़ ले जाया गया, जहां दिनांक 28/10/2024 को रात्रि 00:47 बजे डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मृतक की मृत्यु के पश्चात थाना कोतवाली में तहरीर पर बिना नंबरी मर्ग दर्ज किया गया। चूंकि घटना थाना पूंजीपथरा क्षेत्र में हुई थी, इसलिए मूल अपराध क्रमांक 242/2024 धारा 103(1) BNS के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच आरंभ की गई। थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा ने गवाहों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया, जिससे यह पुष्टि हुई कि आरोपी जुगनू धनकी उर्फ राजेश्वर धनकी पिता जरहा धनकी उम्र 32 साल निवासी कोटछाल थाना सीतापुर जिला सरगुजा हाल मुकाम सरायपाली रुपानाधाम स्टील प्लांट लेबर कॉलोनी थाना पूंजीपथरा द्वारा ही यह अपराध किया गया था।

आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसके मेमोरेंडम के आधार पर लोहे की रॉड जब्त की गई है। आरोपी को आज दिनांक 30/10/2024 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

इस मामले में एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा-निर्देशन, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम एवं डीएसपी अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी पूंजीपथरा निरीक्षक राकेश मिश्रा, सहायक उप निरीक्षक विजय एक्का एवं हमराह टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई।

मामूली झगड़ा विवाद पर युवक की हत्या

कोतरा रोड पुलिस ने मुख्य आरोपी और सहयोगी को किया गिरफ्तार

रायगढ़

थाना कोतरारोड़ में डीएसपी अखिलेश कौशिक द्वारा थाना कोतरारोड़ क्षेत्र अंतर्गत युवक की हत्या का खुलासा कर मामले में दो आरोपियों की गिरफ्तारी की जानकारी दी गई। डीएसपी कौशिक ने बताया कि दिनांक 29.10.2024 को प्रार्थी बन्धुराम उरांव पिता स्व. मंगल उरांव उम्र 65 साल सा. सरवानी थाना खरसिया जिला रायगढ हा.मु. पतरापाली विरेन्द्र कुमार उरांव का किराये का मकान थाना कोतरारोड जिला रायगढ (छ०ग०) के द्वारा थाना कोतरारोड़ में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 29.10.24 के प्रातः 06:00 बजे करीबन इसका लडका दिलेश्वर उर्फ बोलो उरांव (30 साल) का साथी राजू शर्मा, परमेश्वर सतनामी जो पतरापाली में ही रहते हैं जो इसके घर आकर राजू शर्मा बताया कि दिनांक 28.10.24 को करीबन 11:00 बजे तीनों एक साथ पतरापाली तालाब के पास शराब पिये उसके बाद तीनों भोलू मुर्गा दुकान तिराहा के पास बैठे हुये थे। देर करीब 03:00 बजे (29 अक्टूबर), को राम उरांव अपनी सायकल से आया जिसके साथ दिलेश्वर का विवाद हुआ। दोनों के बीच बहसा बहसी में दिलेश्वर ने राम उरांव को 3-4 थप्पड मारा, तब राम उरांव गुस्से में आकर घर गया और गैंती (टांगी) से दिलेश्वर के सिर के बीचों बीच मारकर हत्या कर दिया।

घटना को अंजाम देकर आरोपी घटना में प्रयुक्त गैंती (टांगी) को लेकर रातो रात खैरपुर पहुंचा और अपने बडसाला लक्ष्मी प्रसाद उरांव को सारी घटना बताकर उसे घटना में प्रयुक्त हथियार को छिपाने दे दिया। आरोपी लक्ष्मी प्रसाद उरांव ने आरोपी की मदद की और फिर दोनों मूल निवास जशपुर भागने के फिराक में थे तत्काल निरीक्षक त्रिनाथ त्रिपाठी अपने स्टाफ के साथ क्षेत्र में आरोपियों की घेराबंदी कर कड़ी मशक्कत से दोनों आरोपियों को पकड़ा। दोनों आरोपियों को हत्या के अपराध क्रमांक 373/2024 धारा 103(1) BNS में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

एसपी दिव्यांग कुमार पटेल के दिशा निर्देशन व एडिशनल एसपी आकाश मरकाम के मार्गदर्शन पर मामले के संपूर्ण का त्वरित पटाक्षेप में थाना प्रभारी कोतरारोड निरीक्षक थाना कोतरारोड प्रभारी त्रिनाथ त्रिपाठी, प्र.आर. करुणेश कुमार राय, आरक्षक संदीप कौशिक, संजय केरकेट्टा, टिकेश्वर यादव, मनोज जोल्हे, राजेश खाण्डे, चन्देश पाण्डे की सराहनीय भूमिका रही।

गिरफ्तार आरोपी

(1) राम उरांव पिता समय लाल उरांव उम्र 28 वर्ष सा. बाजार पारा पतरापाली थाना कोतरारोड जिला रागयढ (छ.ग)

(2) लक्ष्मी प्रसाद उरांव पिता लोधाराम उम्र 35 वर्ष सा. मांझापारा खैरपुर थाना कोतरारोड जिला रागयढ (छ.ग)

काचीगुडा-दरभंगा-काचीगुडा के मध्य दीपावली एवं छठ पूजा के लिए स्पेशल ट्रेन की सुविधा

- यात्रियों को मिलेगी कन्फर्म सीट के साथ यात्रा की सुविधा

बिलासपुर । आरएनएस

दीपावली एवं छठ पूजा त्यौहार के दौरान ट्रेनों में होने वाली अतिरिक्त भीड़भाड़ को नियंत्रित करने एवं यात्रियों की सुविधा के लिए काचीगुडा-दरभंगा-काचीगुडा के मध्य 02 फेरे के लिए दीपावली एवं छठ पूजा स्पेशल ट्रेन की सुविधा दी जा रही है। यह ट्रेन काचीगुडा से दरभंगा के लिए 07691 नंबर के साथ दिनांक 03 एवं 10 नवंबर 2024 को रवाना होगी । यह गाड़ी काचीगुडा से 22.00 बजे रवाना होकर अन्य स्टेशनों से होते हुए दूसरे दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाले गोंदिया स्टेशन 09.10 बजे, दुर्ग 11.55 बजे, बिलासपुर 14.30 बजे, रायगढ़ 16.25 बजे तथा तीसरे दिन 13.40 बजे दरभंगा पहुंचेगी। इसी प्रकार दरभंगा से काचीगुडा के लिए 07692 नंबर के साथ दिनांक 05 एवं 12 नवंबर 2024 को चलेगी। यह गाड़ी दरभंगा से 15.15 बजे रवाना होकर दूसरे दिन दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के ठहराव वाले रायगढ़ स्टेशन 15.08 बजे, बिलासपुर 17.00 बजे, दुर्ग 19.48 बजे, गोंदिया 22.20 बजे होते हुए तीसरे दिन 11.45 बजे काचीगुडा पहुंचेगी। इस ट्रेन में 01 जनरेटर कार, 01 एसएलआरडी, 04 सामान्य, 08 शयनयान, 05 एसीथ्री, 02 एसीटू, 01 एसी फस्ट सहित 22 कोच की सुविधा रहेगी।

12 साल के नाबालिग ने फांसी लगाकर दी जान

कोरबा-पाली (आरएनएस)। थाना क्षेत्र में एक नाबालिग ने अज्ञात कारण से फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। युवक ने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता नहीं चल पाया। पुलिस मामले में जांच कर रही है। मजदूरी कर गुजर बसर कर रहे इतवार सिंह रोहिदास निवासी राहाडीह का पुत्र राजकुमार 12 वर्ष ने अपने घर के म्यांर में साड़ी से फंदा बना कर फांसी लगा आत्महत्या कर लिया।

घटना के वक्त पिता इतवार काम करने के लिए बाहर गया था। बहन नहाने के लिए गई थी, इसी बीच राजकुमार ने यह कदम उठाया। वापस लौटने पर स्वजनों ने जब देखा तब इसकी सूचना सूचना डायल 112 को दिया। स्थल पर पहुंची डायल 112 की टीम व पुलिस ने पंचनामा उपरांत शव को फंदे से नीचे उतारा। शाम होने की वजह से शव को पाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रखा गया है। राजकुमार की इस तरह मौत को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं चल रही है। वही इकलौता बेटा खोने से स्वजनों का रो- रो कर बुरा हाल है। बुधवार को पुलिस पोस्टमार्टम करा शव स्वजनों को सौंपेगी, फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही हैं।

धरमजयगढ़ परिक्षेत्र है हाथी प्रभावित क्षेत्र

वन कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन ग्रामीणों को दी जाती है हाथियों के विचरण की सूचना

- ग्राम दुलियामुड़ा में हाथी आने की पूर्व दी गई थी सूचना

रायगढ़

वन मंडलाधिकारी धरमजयगढ़ वनमंडल ने जानकारी देते हुए बताया कि वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ़ के सूचनानुसार परिसर कोयलार में 28 अक्टूबर 2024 को रात्रि 8 बजे लगभग परिसर रक्षक कोयलार प्रदीप केरकेट्टा वनपाल के द्वारा सूचना दी गई कि ग्राम दुलियामुड़ा के एक व्यक्ति को वन्यप्राणी जंगली हाथी द्वारा घायल कर मार दिया गया हैं। उक्त घटना की सूचना प्राप्त होते ही वन कर्मचारियों परिक्षेत्र अधिकारी के साथ घटना स्थल पर पहुंचकर मृतक के संबंध में जानकारी प्राप्त किये जो कि बेदराम राठिया वल्द बरमसिंह उम्र 36 वर्ष साकिन दुलियामुड़ा तह. धरमजयगढ़, जिला- रायगढ़ की पहचान हुई। वह शाम 4-5 बजे अपने खेत की रखवाली हेतु खेत की ओर की अपने साथियों के साथ गया था। सभी साथी अपने-अपने खेत की ओर चले गये। स्थानीय नाम राजा

जंगल में एक नर हाथी विचरण कर रहा था उसकी सूचना गांव वालों को दी गई थी। बेदराम राठिया द्वारा अपने खेत की रखवाली करते समय वन्यप्राणी जंगली हाथी से आमना-सामना हो जाने पर धान के खेत में ही घायल किया गया जिससे मौके पर ही मृत्यु हो गई। साथियों द्वारा बाद में उसकी खोजबीन की गई तो बेदराम राठिया धान खेत पर मृत अवस्था में पाया गया। साथियों द्वारा घटना की जानकारी परिसर रक्षक को दी गई। घटना स्थल पर पहुंचकर मौका निरीक्षण उपरांत धान खेत पर बेदराम का शव मिला एवं आस पास वन्यप्राणी जंगली हाथी के पैरों के निशान स्पष्ट रूप से पाये गये। पुलिस बल की सहयोग से मृतक के शव को सिविल अस्पताल धरमजयगढ़ लाया गया एवं 29 अक्टूबर 2024 को सुबह पोस्टमार्टम उपरांत शव को परिजनों को सौंप दिया गया। शासन के नियमानुसार मृतक के उत्तराधिकारी धर्मपत्नी श्रीमति मंजीरा बाई राठिया पति स्व. वेदराम राठिया वर्ष साकिन दुलियामुड़ा तह. धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ को तत्कालिक सहायता राशि 25 हजार रुपये प्रदान किया गया। घटना के पूर्व मुनादी के माध्यम से ग्राम दुलियामुड़ा में हाथी आने की पूर्व सूचना दी गई थी। घटना प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही वन परिक्षेत्राधिकारी धरमजयगढ़ द्वारा नियमानुसार की जा रही है।

धरमजयगढ़ वनमंडल का धरमजयगढ़ परिक्षेत्र हाथी प्रभावित क्षेत्र है, उक्त घटना क्षेत्रों में जंगली हाथी विचरण की हाथी ट्रेकर्स के द्वारा हाथियों की लगातार ट्रेकिंग की जा रही है जिसकी सूचना व्हाट्सअप के माध्यम से तथा हाथी मित्र दल के माध्यम से वन क्षेत्र एवं आस-पास के गांव में मुनादी कराकर तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से एवं वन कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन हाथियों के विचरण की सूचना ग्रामीणों को दी जाती है तथा ग्रामीणों को हाथी प्रभावित क्षेत्रों में अन्य कार्यों हेतु नहीं जाने की समझाईश प्रतिदिन दिया जा रहा है तथा समूचे धरमजयगढ़ क्षेत्र के वन अमले को मानव हाथी द्वंद्व की रोकथाम हेतु हाई अलर्ट पर रहने हेतु निर्देशित किया गया है।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480